

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 04.03.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र शिवलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मिथलेशपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद क्वाटर ट्रेटा देशी शराब जानेमन ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-71/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र राज किशोर उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम पैलावर थाना राजपुर कानपुर देहात के कब्जे से 16 अदद क्वाटर ट्विन टावर ब्रांड देशी अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र जगन्नाथ उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर निवादा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद क्वाटर ट्विन टावर ब्रांड देशी अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपू पुत्र विनोद निवासी ग्राम फरीदपुर निटर्गा थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात उम्र-27 वर्ष के कब्जे से 26 अदद क्वाटर (12 क्वाटर ट्वीन टावर व 14 क्वाटर दिवाना लाइम) देशी शराब नाजायज बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 047/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र स्व0 भारत सिंह निवासी ग्राम हरीश्वन्द्र निवादा मजरा बहादुरपुर थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 19 अदद क्वाटर देशी शराब ट्विव टावर ब्राण्ड (प्रत्येक 200 ml) बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 090/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 31 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 10 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 09 व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।